

that the proper quarters, that is, the Minister of External Affairs, the Prime Minister, should have come before the House at 2 O'Clock because we were meeting after recess and they got to know of it before we got to know of it when we read the telegram over there. Therefore, it is very odd that Government does not come of its own volition before the House and that you have to send word to them and they would come at their pleasure. If you say that they have communicated to you that they want a little time to come before Parliament with proper preparation, I can understand that. Otherwise, Government is acting in a manner which is not proper.

Shri Nambiar: The news came as back as 11.30. It is already very late.

Mr. Deputy-Speaker: All of us have received the news with a sense of shock. I agree with the hon. Members. We share the concern. (Interruptions).

Shri Hem Barua: The Prime Minister should come and make a statement.

Shri M. R. Masani (Rajkot): It is very proper that, when news of this kind comes, there should be concern in this House. But Government must have time first of all to verify the news, get proper news and then make a considered statement. The Government cannot make a statement here and now without knowing what has happened. Let us behave in a responsible manner. Let the Government come tomorrow morning and make a statement. There is no need for any statement now.

Some hon. Members: No, no.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): The Prime Minister should make a statement today.

Mr. Deputy-Speaker: What Mr. Masani has observed it.. (Interruptions).

Shri S. M. Banerjee: The Prime Minister should come and make a statement today.

Mr. Deputy-Speaker: The members' concern has been conveyed. I am sure the spokesman of the Government will come here soon and certainly meet the wishes of the House.

Shri Nath Pai: We want you to direct him, order him, command him, summon him..

Shri Hem Barua: Please direct the Prime Minister to come.

Mr. Deputy-Speaker: Within half an hour's time, the Minister of External Affairs will be present here and say whatever he has got to say. The hon. members may please resume their seats. (Interruptions).

Shri Tenneti Viswanatham (Visakhapatnam): Will they come here in response to the direction from you?

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Limaye.

14.12 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

AGAINST The Hindustan Hindi

श्री मधु लिवडे (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बिहला परिवार के एक प्रखबार "हिन्दुस्तान"—हिन्दी वाले—के खिलाफ नियम 222 के मातहत विशेषाधिकार का सवाल उठाना चाहता हूँ। साधारणतया मैं प्रखबारवालों के खिलाफ विशेषाधिकार का सवाल उठाना पसन्द नहीं करता। पिछली बार "स्टेट्समैन" के बारे में मैंने सवाल उठाया था, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य उस समय के जो गृह मंत्री थे उन की गलत बयानों को और प्रत्यक्ष भाषण को पकड़ना था। किसी भी प्रखबार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये वह सवाल नहीं उठाया गया था।

[श्री मधु सिमर]

आज यह सवाल मैं इसलिये उठा रहा हूँ कि जैसा कि कई रपटों में कहा गया है, हिन्दुस्तान के घबरावों के ऊपर दिन प्रति दिन कुछ उद्योगपतियों का घोर पैसा वालों का कब्जा होता जा रहा है, और उसका नतीजा यह हो रहा है कि उनको जो शक्ति प्राप्त होती है, आर्थिक शक्ति, मालिक के नाते, उसका यह लोग दुरुपयोग करते हैं। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि "हिन्दुस्तान" हो या "हिन्दुस्तान टाइम्स" हो, या बिड़ला वालों का कोई दूसरा घबराव हो, उन में खास कर हम लोगों के लिये गाली गलौच रहता है। आज तक इस बात को हम बराबर नजरअन्दाज करते रहे। आशा थी कि कभी न कभी उनके मालिक रास्ते पर आ जायेंगे। लेकिन 2 जून के "हिन्दुस्तान" में एक सम्पादकीय में मैंने देखा, वह किसी सम्भावना की रपट नहीं है, वह तो सम्पादकीय है, और सम्पादकीय का मतलब हुआ कि सोच विचार करके, गौर करके यह लिखा गया है।

अब जिसके बारे में मेरी शिकायत है, धर्माज जो सम्पादकीय है उसको मैं पूरा नहीं पढ़ता। उसकी एक नकल मैं आपके पास भेज चुका हूँ। उस में से कुछ हिस्से मैं पढ़ता हूँ। इस सम्पादकीय का नाम है :

"निराधार, अनगल व अनुचित"

मैं समझता हूँ कि इसका अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चल कर इसमें कहा गया है कि :

"हजारी-रिपोर्ट को असंगत एवं अवांछित रूप से माध्यम बना कर जिन निराधार आरोपों के तीर समस्त लोकसंजीव प्रीक्षितों को बेशते हुए, पूरे बारह बंदे तक राज्य सभा में बराबर चलते रहे, सरकार की कबीली पर से सारे आरोप

तथ्यहीन हैं और सरकार उन पर विचार करना अनिवार्यक समझती है।"

और, यह तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है। अगर यह आरोप तथ्यहीन होते तो कमेटी का गठन नहीं करना पड़ता। उस को तो मैं छोड़ता हूँ। इसमें राज्य सभा की चर्चा का उल्लेख है, लेकिन आगे चल कर जो बात आती है उन के साफ मतलब हैं कि केवल राज्य सभा में जो हुआ उसके बारे में ही उन्होंने नहीं लिखा है, दोनों सदन में हजारी रिपोर्ट या मेरा एक विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव या या ध्वज आकर्षण का मामला था, उन सभी के बारे में जो कुछ कहा गया उसको मैंने नजर रखते हुए यह लिखा गया है। आगे चल कर यह कहा गया है कि :

"किन्तु खेद का प्रसंग है कि कतिपय संसद-सदस्यों ने इस रिपोर्ट को उसके मूल उद्देश्य के विन्दु से नहीं परखा और केवल एक संस्थान विशेष एवं व्यक्ति विशेष को बदनाम करने के माध्यम के रूप में ही उसका इस्तेमाल किया।"

तो उनकी जो तद्भावना है या जो उनका हेतु है उसके ऊपर भी कीचड़ उछाला गया है। अर्थात् हजारी-रिपोर्ट पर बहुत नहीं करना चाहते थे, कीचड़ उछालना चाहते थे व्यक्ति-विशेष को लेकर। मतलब बिड़ला और बिड़ला परिवार से है। आगे चल कर उसमें कहा गया है कि :

"ऐसी अवैधानिक, अमानवीय एवं दुस्ताहसपूर्व हजारी-रिपोर्ट को आधार बना कर संसद में जो हंगामा मचा

किया गया और जिसमें मिशनरी, मसीहाई और धर्म-योद्धा के आबेन एवं आबेन में बिड़ला-साम्राज्य का भूत पैदा किया गया, इस शीर्ष के मूल में जितनी कुटिलता, कायरता एवं कुमति है, उतनी शायद ही आज तक पार्लमेंट के मंच पर प्रदर्शित हुई होगी ।”

मतलब कभी नहीं हुई

आगे चल कर यह हमें उपदेशामृत पिला है ।

“मंसू का मंच राष्ट्रीय विचार-विनिमय और देश की विविध गतिविधियों को पकड़ने का सर्वोच्च, अन्तिम एवं सर्वाधिक दायित्वपूर्ण मंच है । इस मंच से बोलने का अधिकार भी जनता उन्हीं लोक प्रतिनिधियों को देती है जो जनहित को अपनी बेतना में सर्वोच्च महत्व देते हैं और परिपूर्ण राष्ट्रनिष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपनी राय पेश करने की पात्रता रखते हैं ।”

जो हम लोगों की जन प्रतिनिधित्व करने की जो पात्रता है उसके बारे में भी उन्होंने सन्नेह प्रकट किया है ।

“प्रश्न है कि क्या हजारों रिपोर्ट का आधार लेकर संसद् के मंच के जो अनगलता, विष-बम, परिहृणन एवं अविवेक प्रदर्शित हुआ क्या वह संसद् एवं उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा के अनुकूल था ?”

आगे उन्होंने दोनों सदनों का जिक्र किया है कि :

“दोनों सदनों में जो निम्न आलोचना हुई है”

बिड़ला परिवार और बिड़ला संस्थानों के बारे में :

“उसमें सत्ताह्व दल के सदस्यों ने भी अपनी भाग लिया है ।”

इस के ऊपर उनको खेद है कि आपके दल के सदस्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया । इस पर उनको बड़ा दुख हो रहा है ।

आगे चल कर

मंच, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : हम लोग खुश हैं ।

श्री मधु सिन्हा : हम भी खुश हैं । फिर कोई विरोध नहीं होना चाहिये । अन्त में सरकार ने लिखा है ।

“इस दृष्टि को पूर्वाग्रह से रंगीन दृष्टि कहें या पक्षपात से पंक्ति दृष्टि अथवा बरफूक तामाशा देखने की नाबारी, क्या कहें कुछ समय में नहीं आता ।

इस तरह की सारी बातें इस संपादकीय में हैं ।

अब सवाल यह है कि क्या वह सम्पादकीय हमारे संविधान की जो विशेषाधिकार सम्बन्धी धारा है और जिस के अन्तर्गत हमें विशेषाधिकार दिये गए हैं, उनको भंग करता है ? मैं आपका ध्यान संविधान की 105 धारा की ओर आँचना चाहता हूँ । उस में कहा गया है :

“Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament....

[श्री मधु सिमरो]

वाक् स्वतंत्रता के अधिकार को इस संविधान में बड़ा महत्व दिया गया है और उसको नियमित करने का अधिकार केवल इस सदन को है, इस सदन की प्रक्रिया से वह नियमित है। इसके अलावा वाक् स्वतंत्रता पर और कोई बंधन नहीं है, कोई भी रोक नहीं है।

आगे यह भी कहा गया है कि संसद में जो बातें कही जाती हैं उन बातों को लेकर अदालतों में कार्रवाई नहीं हो सकती है। यह अधिकार इसलिए दिया गया है कि अगर अदालत में खींचे जाने का खतरा बराबर बना रहेगा तो संसद सदस्य अपनी बात को ठीक तरह रख नहीं पायेंगे। इसलिए सदस्यों को अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाने के लिये यह वाक् स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और यह भी सरक्षण दिया गया है कि संसद में जो कहा जाता है या बोला जाता है उसको ले कर अदालतों में कोई कार्रवाई नहीं होगी।

आगे चल कर तीन में उन्होंने यह कहा है:

"In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law...."

हम लोगों ने मांग की है, इस सदन के प्रारम्भ में भी की है, कि हम लोग कानून द्वारा अपने विशेषाधिकारों को निश्चित करें। लेकिन वह हुआ नहीं है। हम लोगों की गलती नहीं है। हम तो बराबर जोर देते आए हैं। अगर यह हुआ नहीं तो इस में दोष हमारा नहीं है आगे चल कर रखा है:

"...and until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution."

हम लोगों को यह देखना है कि जिस सम्पादकीय की छोर मैंने आपका ध्यान खींचा है और उस में ये जो सारी बातें लिखी गई हैं, क्या 1950 में हाउस आफ कॉमन्स का विशेषाधिकार सम्बन्धी जो कानून था क्या उस कानून के मातहत यह विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है या नहीं? मैं जरा आपका ध्यान मंज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस की छोर दिलाना चाहता हूँ। उसका यह जो सतरहवाँ संस्करण है उस के पृष्ठ 117 से मैं इसको पढ़ रहा हूँ:

"In 1701, the House of Commons resolved that to print or publish any books or libels reflecting on the proceedings of the House is a high violation of the rights and privileges of the House, and indignities offered to their House by words spoken or writings published reflecting on its character or proceedings have been constantly punished by both the Lords and the Commons upon the principle that such acts tend to obstruct the Houses in the performance of their functions by diminishing the respect due to them."

Reflections upon Members, the particular individuals not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflections on the House."

इस वाक्य पर मैं जोर देना चाहता हूँ। जहाँ विनिष्ट सदस्य का नाम न देकर सभारण सदस्यों की चर्चा की गई है उसका माफ मतलब है कि वह पूरे सदन की अप्रतिष्ठा है, सदन का अपमान है, सदन के विशेषाधिकारों का हनन है।

आगे चलकर 124 पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है:

"Analogous to molestation of Members on account of their behaviour in Parliament are spee-

ches and writings reflecting upon their conduct as Members. On 26th February 1701, the House of Commons resolved that to print or publish any libels reflecting upon any member of the House for or relating to his service therein, was a high violation of the rights and privileges of the House.

"Written imputations, as affecting a member of Parliament, may amount to breach of privilege, without, perhaps, being libels at common law, but to constitute a breach of privilege a libel upon a Member must concern the character or conduct of the Member in that capacity."

मतलब यह है कि सदस्य के नाम उसका यहां पर जो व्यवहार है या उसके द्वारा जो कुछ भी बोला जाना है, अगर उसके सम्बन्ध में कोई अपमानजनक शब्द लिखे गए हैं किसी अखबार में तो उन के बारे में हम कार्यवाही कर सकते हैं। इन सदस्यों की जो बाहर की कार्यवाही होती है उसके बारे में हम लोग कोई कदम नहीं उठा सकते हैं।

अब मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हजारी रिपोर्ट पर यहां बहस होने वाली है। वहाँ के दौरान मैं बहुत सी बातें कही जायेंगी। हमें यह वाक्स्वतन्त्रता इच्छित दी गयी है कि निर्भयता के साथ हम इन बातों को रख सकें। अगर कोई व्यक्ति या कोई माननीय सदस्य अपनी वाक्स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता है तो उसके बारे में कार्यवाही करने का सदन को पूरा अधिकार है। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय जब श्री अर्जुन घोड़ा के आरोपों की चर्चा प्रधान मंत्री के द्वारा यहां पर की गई तो मैंने स्वयं विरोधाधिकार का प्रस्ताव भी दिया और नियम संख्या 184 के मातहत भी एक प्रस्ताव दिया जिसमें मैंने कहा कि श्री अर्जुन घोड़ा को अपने आरोपों को पुष्टि करने का मौका दिया जाए। यदि वह उन की पुष्टि करते हैं तो विधियों के खिलाफ कार्यवाही हो। यदि

वे पुष्टि करने में असमर्थ रहते हैं तो फिर यह सदन या राज्य सभा या दोनों मिल कर उन के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सदस्य गैर-जिम्मेदारी के साथ बोलते जायें। जो सदस्य आरोप करते हैं या अपनी बात रखते हैं वे संसद का जो अनुशासन है, संसद की जो नियामावली है उसके सामने सिर झुकाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनको हमेशा तैयार रहना चाहिये।

अभी "हिन्दुस्तान" में जो सम्पादकीय आया है यह कोई मामूली बात नहीं है। ये लोग वाक्स्वतन्त्रता के लिये नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी जो धार है हिन्दुस्तान टाइम्स, जिसके बारे में मैंने अलग से नोटिस दिया है उसमें एक वाक्य आ गया है। बिड़ला अखबार वालों का जो दिमाग है वह कितना सड़ा हुआ दिमाग है उसका हम अंग्रेजी अखबार के लेख से आपको सबत मिल जायगा। उसमें यह साफ कहा गया है। संसद की कार्यवाही की रपट अखबारों में छपनी है और जिस तरह संसद की कार्यवाही सुरक्षित है उही तरह कार्यवाही की जो रपट अखबारों में आती है वह भी सुरक्षित है। इन रपटों को ले कर कोई अदालत में कार्यवाही नहीं हो सकती। यह महाशय चाहते हैं कि यह संरक्षण छीन लिया जाए। क्या नतीजा होगा? इसका मतलब होगा कि हम लोगों के खिलाफ जितनी बातें वे प्रसिद्ध करना चाहेंगे छापते रहेंगे। जो असली बात है, वह छपेगी नहीं। इस प्रकार सत्ता के केन्द्रीयकरण का मामला चल रहा है, राजनीतिक प्रभाव डालने का प्रयत्न हो रहा है, प्रधान मंत्री का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, मंत्रियों का बयान हो, वह छिपी हुई बात नहीं है कि बिड़ला अखबार से टेलीफोन आते हैं, दबाव आता है, सब चलता है, सब कुछ चलता है.....

श्री क० ना० सिन्हा (बेसिया) : बिल्कुल गलत बात है।

श्री मधु लिवये : उन की ओर से चलता है। आप कितना दबाव में आते हैं उस के बारे में मैं इस वक़्त कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिर आप को क्यों गुस्सा आ रहा है। उन की ओर से कई कार्यवाहियाँ इस तरह की हो रही हैं वह मैं कह रहा हूँ

Shri Randhir Singh (Rohtak): We support the hon. Member and we agree with him. Let him not bother about it. He is taking up everybody's cause and not his own cause.

Shri Shashi Ranjan (Pupri): The hon. Member has got our full support. We are going to support him. Let him go on.

श्री मधु लिवये : मैं आपका आभारी हूँ। इसलिये मैं इस मामले को उठा रहा हूँ। आप विशेषाधिकार समिति के मामले इस मामले को भेज दीजिये, विशेषाधिकार ममिनि सम्पादक और मालिक को बुलाये। मैंने जो नोटिस दिया है उसमें मालिक का नाम नहीं लिया था लेकिन आपकी अनुमति से अब मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव रख रहा हूँ इसके बारे में। इस सम्पादकीय में संघर्ष सदस्यों की प्रिण्टा के खिलाफ और जो अपमानजनक बातें कही गई हैं, जो हमको गालियाँ दी गई हैं, उसका समिति देखे। यह कोई मामूली बात नहीं है। संघेजी में अगर इनका अनुवाद किया जाए तो कुटिलता का अर्थ होगा मैनिफेस्टलिन्ग या होगा कुकिङ्गन और काररता का कार्डिनल और कुमति का मेरी राय में मैलाकाईवी या आप उसको दुष्ट मानना कहिए, जो भी कहिए लेकिन मैलाकाईवी सब से अच्छा अनुवाद रहेगा। जब इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो विशेषाधिकार समिति का यह फर्ज है कि इन आरोपों के बारे में, और इस पक्ष में जो कुछ भी लिखा गया है, उसके बारे में सम्पादक और मालिक दोनों से, जवाब तलब करें और विशेषाधिकार समिति जल्द से जल्द इस बारे में अपना फैसला दे जो कि हमारे विचारार्थ सबन के सामने आए।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Masani:

Shri M. R. Masani (Rajkot): Have you granted leave to this motion?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप इस बारे में कौनसी पद्धति अपना रहे हैं।

श्री मधु लिवये : किसी ने भी विरोध नहीं किया है।

Mr. Deputy-Speaker: Let him ask the leave of the House.

श्री मधु लिवये : मैंने कहा है कि किसी ने भी विरोध नहीं किया है।

Mr. Deputy-Speaker: Is there any objection to leave being granted?

श्री मधु लिवये : आप क्यों पूछ रहे हैं इस पर मुझे ऐतराज है? वह जानते हैं। अगर उन्हें विरोध करना है तो वह करेंगे।

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): No objection.

Shri Randhir Singh: We are supporting him fully. This is everybody's cause, not his own.

श्री मधु लिवये : मैंने प्रस्ताव पेश कर दिया है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास जाये और पक्ष के सम्पादक और मालिक से जवाब तलब किया जाये।

Mr. Deputy-Speaker: Both issues?

Shri Govinda Menon: It can be added on there.

श्री मधु लिवये : वह अलग मामला है। आप नियम 224 को देखिए। उसके अनुसार एक समय पर एक ही प्रस्ताव आ सकता है। उसमें लिखा है :

"not more than one question shall be raised at the same sitting".

इसीलिए मैंने दूसरे मामले को नहीं उठाया है।

Mr. Deputy-Speaker: The subject is the same.

श्री मधु लिमये : हिन्दुस्तान टाइम्स अलग है और उसमें लिखने वाले व्यक्ति अलग हैं। हिन्दुस्तान अलग है। मैंने इस वक्त हिन्दुस्तान का मामला रखा है।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this matter be referred to the Committee of Privileges for report".

Shri M. Y. Saleem (Nalgonda): I want to draw your attention to rule 226 which says:

"If leave under rule 225 is granted, the House may consider the question and come to a decision or refer it to a Committee of Privileges on a motion made either by the member who has raised the question of privilege or by any other member".

There are two aspects to the case.

Shri Nath Pai (Rajapur): We know that.

Mr. Deputy-Speaker: He has already moved a motion.

Shri M. Y. Saleem: After the motion has been moved and leave granted, it is for the House either to consider it or refer it to the Privileges Committee.

Mr. Deputy-Speaker: The motion is to refer it to the Privileges Committee.

श्री मधु लिमये : अगर माननीय सदस्य इस सदन के द्वारा फैसला कराना चाहते हैं तो वह संशोधन रख सकते हैं।

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): We have no objection to leave being granted.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this matter be referred to the Committee of Privileges for report."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The matter stands referred to the Committee of Privileges.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने यह प्रस्ताव रखा है कि पत्र के सम्पादक और मालिक दोनों से जवाब तलब किया जाये। (व्यवधान)

My point is that the proprietor of those newspapers, Shri Birla, should also be called before the Privileges Committee.

Mr. Deputy-Speaker: Whatever has been said in the motion and the observations following it has been recorded here.

14.36 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT, AUDITED ACCOUNTS ETC.
RE: INDIAN RARE EARTHS LTD.

The Minister of State in the Department of Atomic Energy (Shri M. S. Gurupadaswamy): On behalf of Shrimati Indira Gandhi, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Indian Rare Earths Limited, Bombay, for the year 1965-66, along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956. [Placed in Library, see No. LT-512|67.]

ANNUAL REPORT, AUDITED ACCOUNTS ETC.
RE: GARDEN REACH WORKSHOPS LTD.

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): On behalf of Shri B. R. Bhagat, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Garden Reach Workshops Limited, Calcutta for the year 1965-66